सीआरपीएफ के जवानों द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आदिवासियों की हत्या पर रिपोर्ट
सीडीआरओ द्वारा तथ्यों की जाँच-पड़ताल

कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गनाइजेशन (सीडीआरओ) से जुड़े अधिकार कार्यकर्त्ताओं की एक अखिल भारतीय टीम ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उस क्षेत्र का दौरा किया, जहाँ 28 जून 2012 की रात में सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गोली चलाने के कारण 17 आदिवासियों की मौत हो गई थी। इस टीम ने 6 और 7 जुलाई को सारकेगुडा, कोट्टागुडा और राजपेंटा गाँवों का दौरा किया और घटना के बारे में जानकारी हासिल की। आगे टीम द्वारा की गई जाँच की संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है।

तीनों ही गाँव बासागुड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों गाँव बहुत ही छोटे हैं और एक-दूसरे के आस-पास बसे है। इन गाँवों से पुलिस स्टेशन की दूरी तकरीबन एक किलोमीटर है। इन तीनों गाँवों से तकरीबन तीन किलोमीटर की दूरी पर एक सीआरपीएफ कैम्प स्थित है। सारकेगुड़ा में कुल 25 और राजपेंटा में 12 घर हैं। ये दोनों कोरसागुदेम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। कोट्टागुडा में 30 घर हैं और यह चीपुरूपट्टी पंचायत के अंतर्गत आता है। इन तीनों गाँवों के अधिकांश लोग डोरला कोया जनजाति से संबंधित हैं।

28 जून की रात में तकरीबन 8 बजे इन तीनों गाँवों से तकरीबन 60 आदिवासी सारकेगुड़ा और कोट्टागुड़ा के बीच के खुले क्षेत्र में इकट्ठे हुए थे। चूंकि आदिवासी दिन में काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए अमूमन रात में सामूहिक फैसले करने के लिए इस तरह की बैठकें होती रहती हैं। दरसअल, बोआई का मौसम आने वाला था, इसलिए यह बैठक खेती से जुड़े विभिन्न मसलों से संबंधित थी। इसमें बीज बोने के पारंपरिक त्यौहार की तारीख भी तय करनी थी, जिसे *बीजा पोंडम* के नाम से जाना जाता है (यह काम कुछ हफ्ते पहले ही होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई क्योंकि इसे करवाने वाले पुजारी की मौत हो गई थी)। इसके अलावा, इस बैठक में दूसरे कई मुद्दों पर भी चर्चा की जानी थी, मसलन, जोताई के लिए जमीन का वितरण, बगैर जानवर वाले परिवारों की मदद, नए आए ट्रैक्टर के उपयोग के लिए किराए की राशि और मछली के उत्पादन को बढ़ाने की तरकीब। आदिवासियों को पिछले दो सालों में तेंदु पत्ता इकट्ठा करने का पैसा नहीं मिला था। उन्हें अब जाकर 10,000 हजार की बकाया राशि मिली थी। इस बैठक में वे इस बात की भी चर्चा करने वाले थे कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए। इस रात आकाश में बहुत ज्यादा बादल थे और बहुत कम दिखाई दे रहा था। इस बैठक में सिर्फ इन तीन गाँवों के ही लोग थे और उनके पास कोई हथियार नहीं था।

जब मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान सीआरपीएफ और कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन, जो कि सीआरपीएफ की एक खास नक्सल विरोधी गुरिल्ला यूनिट है) कमांडो की एक बड़ी टुकड़ी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इसमें 100 से ज्यादा लोग थे। गाँववालों के अनुसार तकरीबन दस बजे इन लोगों ने कोई चेतावनी दिए बगैर फायरिंग शुरू कर दी। पहली बार पश्चिमी दिशा से

फायरिंग हुई। इसमें तीन आदिवासियों को गोली लगी और वे तुरंत ही उनकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद तीन और दिशाओं से गोलियाँ चलने लगी। भयभीत गाँववाले चिल्लाने लगे और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अधिकांश लोग अपने-अपने गाँवों की ओर भागे। कुछ लोगों ने घास रखने के लिए बने स्थान की ओट में छिपकर जान बचाने की कोशिश की। जो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उन पर भी गोलियाँ चलाई गईं। तकरीबन 30 मिनट तक गोलीबारी चलती रही। इसके बाद मानो मृतकों का सर्वे करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों ने दो आग जलाने वाली बंदूको से फायर किया जिससे इस क्षेत्र में रोशनी हो गई। सीआरपीएफ जवान इसी क्षेत्र में रूके रहे।

टीम द्वारा की गई तथ्यों की जाँच से यह बात स्पष्ट है कि आदिवासी शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे। इस बैठक में मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास आग्नेयास्त्र नहीं था। सीआरपीएफ के जवानों ने इन्हें घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं। इस गोलीबारी के कारण 16 आदिवासी मारे गए। 15 लोगों की उसी रात मौत हो गई और 15 साल के इरपा सुरेश ने अगले दिन बीजापुर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। मारे गए लोगों में से छह लोग नाबालिग थे। नाबालिग लोगों में के.रामा की 12 साल की बेटी काका सरस्वती भी शामिल थी। जब वह भागकर कोट्टागुडा के अपने घर में जा रही थी तो उसे गोली मार दी गई। बाकी पाँच नाबालिग लोगों में से दो काका राहुल (16) और मडकाम रामविलास (16) बासगुडा के स्कूल में दसवीं क्लास में पढ़ते थे। वे दोनों बासगुडा में हॉस्टल में रहते थे और गर्मियों की छुट्टी में घर आए थे।

यह बिल्कुल साफ है कि उस रात सारकेगुडा में लोगों की बेरहमी से हत्या की गई। गाँववालों के अनुसार जो लोग गोलियों से नहीं मरे, उन्हें पुलिस ने गाँव से लिए गए कुल्हाड़ियों से मार डाला। गाँव के बाहर के बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि कुछ लोगों की छातियों और ललाट पर कुल्हाड़ी से मारे जाने के निशान थे। इस तरह की जानकारी देने वालों में मीडिया के वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने लाशों को दफनाए जाने से पहले देखा था।

इस क्रूर हत्या का सत्रहवाँ शिकार इपरा रमेश था। वह आई लचमी का पति और तीन बच्चों का पिता था। गोलीबारी शुरू होने के बाद वह भागकर सुरक्षित अपने घर में चला गया। पाँच बजे सुबह हालात का जायजा लेने के लिए अपने घर से बाहर निकला। सीआरपीएफ के लोगों ने उनका पीछा किया और उसके परिवार के सदस्यों के सामने ईंट से मार-मारकर उसकी हत्या कर दी। रमेश के पिता इरपा राजू के अनुसार, सीआरपीएफ के लोगों ने उनके घर से 5,000 रूपये भी ले लिए। इसी रात पुलिस ने राजपेंटा में इरपा नारायणा के घर से 3000 हजार और मडकाम रमेश के घर से 2,000 रूपये ले लिए।

मारे गए लोगों की सूची:

कोट्टागुडा के लोग:

1. काका सरस्वती (12), के. रामा की बेटी।

2. काका सम्माय्या (32), किसान, के. नेगी का पति।
3. काका राहुल (16), बासागुडा में दसवीं क्लास का छात्र, के. नारायणा का बेटा।
4. मडकाम रामविलास (16), बासागुडा में दसवीं क्लास का छात्र, काका राहुल का सहपाठी और एम. बुचैय्या का बेटा।
5. मडकाम दीलिप (17), पामेड में आठवीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपने पिता एम. मुतैय्या की खेती में मदद करता था।
6. इरपा रमेश (30), किसान, आई लचमी का पति और तीन बच्चों का पिता।
7. इरपा दिनेश (25), किसान, आई. जानकी के पिता, चार बच्चों के पिता, इरपा रमेश के छोटे भाई।
8. मडकाम नागेश (35), पहले एक पेशवर ढ़ोलक बजाने वाले थे, जो त्यौहारों के दौरान ढ़ोलक बजाते थे, एम. सामी के पति, दो बच्चों के पिता। इनकी पत्नी के गर्भ में इनका तीसरा बच्चा है।
9. मडकाम सुरेश (30), किसान, एम. सामी के पति एवं दो बच्चों के पिता और मडकाम नागेश के छोटे भाई।
10. इरपा नारायणा (45), किसान, आई. नारसी के पति और चार बच्चों के पिता।

राजपेंटा के लोगः

11. इरपा धरमैया (40), किसान, आई. भीमी का पति, पाँच बच्चों का पिता।
12. इरपा सुरेश (15), पाँचवी क्लास तक पढ़ा, आई. चंद्रय्या का बेटा, 29 जून को बीजापुर अस्पताल में इसकी मौत हो गई।

सारकेगुडा के लोगः

13. सरके रमन्ना (25), किसान, एस. सोमलु का पति, तीन बच्चों का पिता।
14. अपका मैतू (16), ए. सुखराम का बेटा, खेती में अपने पिता की मदद करता था।
15. कोरसा बीचेम (22), ए. गुट्टा का बेटा, पहले हैदराबाद के बोरवेल फर्म में काम करता था, एक महीने पहले अपने पिता की खेती में मदद करने वापस आया था।
16. कुंजम मल्ला (25), किसान, के. लखमाडू का बेटा।
17. माडवी अएतू (40), किसान, एम. कामली का पति और चार बच्चों का पिता।

गोलीबारी में 6 आदिवासी घायल हुए। इनमें से चार काका रमेश (11) और काका पार्वथी (10), इरपा चिन्नक्का (40) और एबका चोटू (16) को बीजापुर और जगदलपुर के अस्पतालों में दाखिल कराया गया था।। अब ये लोग इलाज के बाद घर लौट आए हैं। मडकाम सोमय्या (30) और काका स्नेती (19) को रायपुर के अस्पताल में ले जाया गया था। अभी भी इनका इलाज चल रहा है,

लेकिन ये खतरे से बाहर हैं। घायल लोगों में से काका रमेश (13) और उसकी छोटी बहन काका पार्वथी (11) बाल-बाल बचे हैं। गोलीबारी शुरू होने के बाद वे कोट्टागुडा में अपने घर की ओर भागे और उनके बाईं बाँह पर गोली लगी। इरपा मुन्ना (26) और सरका पुल्लाइया (20) भी घायल हुए थे लेकिन सीआरपीएफ के लोग इन्हें अस्पताल लेकर नहीं गए। सरकेगुडा और कोट्टागुडा में आदिवासियों द्वारा पारंपरिक दवाईयों की मदद से इनका इलाज किया जा रहा है। गोलबारी में कुछ जानवर भी मारे गए।

उस रात सीआरपीएफ के लोग मैदान में ही जमे रहे और रात में ही वे 15 लाशों को बासागुडा ले गए और वे इरपा रमेश को सुबह ले गए। घायल लोगों के अलावा वे 25 गाँव वालों को भी अपने साथ ले गए, जिन्हें शाम में छोड़ दिया गया। आदिवासी उसी दिन बासागुडा गए और उन्होंने माँग की कि मृतकों के शव उन्हें सौंपे जाए। शाम में पुलिस ने उन्हें शव वापस कर दिया और अगले दिन गाँव के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ लोगों का शव जलाया गया, तो कुछ लोगों को दफना दिया गया। इरपा दिनेश का शव अभी तक गाँव में वापस नहीं आया था, क्योंकि पुलिस के अनुसार वह एक माओवादी था। उसके शव को बासागुडा पुलिस स्टेशन के नजदीक दफना दिया गया।

मानक नियमों का उल्लंघन करते हुए सीआरपीएफ के लोग न सिर्फ लाशों को अपने साथ ले गए, बल्कि उन्होंने लाशों के नीचे की जमीन में लगे खून के धब्बों को हटाने के लिए उस मिट्टी को भी निकालकर ले गए। बीजापुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने 'ऑन रेकार्ड' यह कहा है कि 'बासागुडा थाना में डॉक्टरों की एक टीम के द्वारा समुचित पोस्टमार्टम किया गया और उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।' पोस्टमार्टम थाना में नहीं, बल्कि ऐसे अस्पताल में होना चाहिए जहाँ सभी आवश्यक साधन मौजूद हों। यह बात भी गौर करने लायक है कि गाँव के लोग इस बात पर एकमत थे कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बहुत सारे रिपोर्टरों ने भी इस बात का समर्थन किया। इन रिपोर्टरों पर किसी भी शव पर ऐसा कोई निशान नहीं दिखा था, जो पोस्टमार्टम के बाद शरीर पर बन जाता है।

जांच-पड़ताल दल के सदस्यों से गांववालों ने यह भी बताया की 29 जून की सुबह को सी.आर. पी.एफ. के जवान दो महिलाओं को घसीटतें हुए मैदान में लेकर गए और उनके कपड़ों को फाड़ डाला, साथ ही तीन अन्य महिलाओं को भी गालियां दी, पीटा और रेप करने की धमकी दी।

यह तथ्य साफ बताते है कि पुलिस प्रतिष्ठान, एस.पी. बीजापुर से लेकर सी.आर.पी.एफ. के उच्च अधिकारी तक आदिवासी नागरिकों के हत्याकांड को माओवादीयों के साथ हुई जवाबी गोलीबारी में हुई हत्या के तौर पर प्रस्तुत कर रहे है। इसके लिए वह सी.आर.पी.एफ और कोबरा कमांडों के घायल छः सैनिकों का बार-बार जिक्र कर रहे है। इस पूरे झूठ को राजनीतिक वर्ग के केन्द्रीय ग्रह मंत्री के द्वारा और विस्तारित किया गया। वृहत रूप में, यह 'ऑपरेशन सिलिगर' के तहत कई सप्ताह पहले ही सी. आर.पी.एफ. और कोबरा कमांडों की तीन टीमों ने इस इलाके के लिए प्लान बनाया था। जिसमें इनके पास खुफिया जानकारी थी कि यहां बड़ी संख्या में माओवादी एकत्रित होने वाले है। इस ऑपरेशन के आई.जी. के अनुसार सी.आर.पी.एफ. के जवान सारकेगुडा में होने वाली सभा तक पहुंचते और जाकर विषय का पता लगाते उससे पहले ही इनके उपर फायरिंग होने लगी जिसके पश्चात आत्म-सुरक्षा में सी.

आर.पी.एफ. के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। सी.आर.पी.एफ. के पंकज कुमार सिंह का कहना है कि "यहां पूर्ण रूप से तैयार माओवादी कैम्प चलाया जा रहा था, उनकी तैयारियां इस प्रकार से थी की यदि कोई हमला होता है उस स्थिति में वह 10 मिनट में भाग सकते थे। हमने वहां से आई.ई.डी., बहुत सारे साहित्य, पोलिथिन टैन्ट, और सोलर लाईट तथा नली भरी हुई बंदूखें बरामद की है"।

यह व्याख्या इस भयानक अपराध को बेशर्मी से मिथ्या बताने वाली है। आत्म-सुरक्षा के नाम पर एक्सट्रा ज्यूडिशियल किलिंग को सही बताने का पुलिस एवं अर्द्ध-सैनिक बलों का यह एक पसंदीदा उपाय है। जांच दल के सदस्यों का यह मानना है कि उस रात को कोई भी क्रॉस फायरिंग नही हुई। फायरिंग पुरी तरह से एक तरफा थी, वह भी विशेष सुरक्षा बलों की ओर से अकारण एवं अचानक। उस रात को घायल हुयें सी.आर.पी.एफ. और कोबरा के छः जवानों के बारे जिस प्रकार सी.आर.पी.एफ. के अधिकारी बता रहें, वह केवल अपनी फायरिंग की बात को पुख्ता करने के लिए है। जांच दल ने देखा की जहां आदिवासी एकत्रित हुऐं थे उसके आस-पास के दर्जनों भर पेड़ों पर गोलियों के निशान थे। गोलियों के निशान कुछ घरों पर भी देखने को मिलें जिससे यह पता चलता है कि इकट्ठें हुए आदिवासियों पर चारों तरफ से गोली चलाई गई है। यह संभव है कि छः जवान अपने ही साथियों द्वारा दूसरी ओर से की जा रही गोलीबारी में घायल हुए हो। गांववालों का यह मत है की सी.आर.पी.एफ. और कोबरा के छः जवान अपनी ही क्रॉस फायरिंग में घायल हुए है। गांव के सभी आदिवासियों से जांच दल ने बात की उनका यह कहना है कि मिटिंग में कोई भी माओवादी नही था, तथा जो भी लोग मिटिंग में एकत्रित हुए थे उनमें से किसी के पास भी हथियार नही थे।

राष्ट्रीय मीडिया में चलाई जा रही रिपोर्ट की बहुत सारी संख्या में नागरिक, जिसमें कम उम्र के बच्चों (नाबालिगों) की भी हत्या की गई है। जिसके पश्चात सरकारी रूख थोड़ा कमजोर हुआ लेकिन ये लोग अपने मुख्य तर्क की मीटिंग में हथियार बंद माओवादी उपस्थित थे और यह एंकाउन्टर बिल्कुल सही है इस बात पर ठीके हुए है। सी.आर.पी.एफ. का अब यह कहना है कि मारे गए में से सात लोग - मडकाम सुरेश, मडकाम नागेश, माडवी अयातू, काका सम्मय्या, कोरसा बीजी, मडकाम दिलीप, और इरपा नारायण माओवादी है इनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में गंभीर प्रकृति के कई सारे केस दर्ज है। मारे गए आदिवासी नागरिकों के बारे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का कहना है कि माओवादीयों ने आदिवासीओं को मानव सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया, जो कि नागरिकों की हत्या का कारण बना।

सुरक्षा प्रतिष्ठानों के अत्याधिक बौद्धिक समूह ने अब एक नया डिसकोर्स चलाया है जिसको "दुर्भाग्यपूर्ण समानान्तर नुकसान"(कोलेटरल डैमेज) कहना शुरू किया है। साथ में यह भी कहा जाता है की भविष्य में यह कैसे कम हो इसका ध्यान रखा जाएगा। उस बादल भरी रात में एकत्रित हुए लोगों के बीच हथियारबंद लोग उपस्थिति है का पता लगा सकना सी.आर.पी.एफ और कोबरा के जवानों के लिए बिल्कुल संभव नही था, वह भी तब जब वह उस स्थान से 100 मीटर की दूरी में स्थित थे। इन्होने एक जगह जमा हुए गांव वालों को घेर कर तब तक फायरिंग की जब तक की वह मर नही गए। यदि यह

सही भी मान लिया जाए की सी.आर.पी.एफ. ने गोलीबारी, जवाबी फायरिंग में की, तब भी इस बात को औचित्यपूर्ण व सही नही ठहराया जा सकता की गांव के एकत्रित समूह पर गोलीबारी की जाए।

पिछले कई वर्षो में इन इलाकों ने ऐसे ही दर्दनाक व भयानक हिंसा को देखा है। विशेष रूप से 2005 से साउथ बस्तर में पुलिस और आपराधिक सलवा जुडूम के सचेत गैंग के साथ मिलकर आदिवासी को प्रताड़ित कर रहे है। इन छः वर्ष के लम्बे भय के दौरान, इन तीन गांवों में रहने वाले लोगों पर सलवा जुडूम के द्वारा कई सारे हमले किए गए, घरों को लूटा व जलाया गया। जिसके कारण कई सारे लोग गांव छोड़ कर चले गए। इनमें से बहुत सारे पड़ौसी राज्य आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में चले गए। दो आदिवासी, सरकेगुड़ा गांव के मडकम बिला और कोरसा भीमा भी पुलिस द्वारा मारे गए। जबकि तीन वर्ष पहले यह आदिवासी अपने गांव वापस आकर अपने जीवन को दुबारा से खड़ा करने की प्रक्रिया में थे तभी यहां 28 जून को सामूहिक हत्याकांड हुआ।

कोरसेगुडा और चिपुरूपट्टी पंचायत के कई सारे गांव में पुलिस के द्वारा जारी प्रताड़ना की घटनाऐं पाई गई। जबकि पहले दौर में राज्य के द्वारा आदिवासीयों पर की गई बर्बरता के बारे एक समान शब्द सुनने को मिलता था कि "यह सलवा जुडूम ने किया है"। परन्तु आज के समय में लोगों का कहना है कि " फोर्सेस यहां बड़ी समस्या कर रही है" सी.आर.पी.एफ. के साथ मिल कर। साथ ही पिछले दो सालों में इस इलाके में पैरामिलिट्री और स्पेशल पुलिस काफी बड़ी संख्या में लाए गए है। कोरसेगुडा गांववालों का कहना है कि फोर्सेस रात को गांव के नजदीक आकर हवा में फायरिंग करते है, और "यह देखते है कि यदि कोई बाहर आकर भागता है तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है"। चिपुरूपति और अन्य पंचायत के लोग बासगुडा जा कर अपना राशन खरीदतें है और अपने कुछ उत्पादों को बेचते भी है।"लेकिन केवल महिलाऐं ही जाती है क्योंकि पुरूषों को बासगुडा पुलिस के द्वारा कभी भी उठा लिया जाता है सवाल किया जाता है, मारा जता है, गाली दी जाती है और कई बार तो एक सप्ताह तक हवलात में बंद रखा जाता है। झूठे मुकद्मों में कुछ लागों को बंद करने के बाद गांव के पुरूष दूर ही रहने लगे"।

जांच दल जब इन तीन गांवों की तरफ जा रही था तब उसने देखा की सी.आर.पी.एफ. के हथियारबंद कई सारे समूह जंगल में उपस्थित थे। उन्होनें हमें शक की नजरों से देखा परन्तु किसी प्रकार की दखलंदाजी नही की। वो लोग उस समय तक उपस्थित थे जब जांच दल कई घन्टों के बाद वहां से वापस लौटा। सप्ताह भर पहले हुए खूनी वार के उतरदायी होने के बावजूद इनकी उपस्थित गांव वालों को सामान्य एवं भय मुक्त जीवन जीने की दुबारा कोशिशों के विरूद्ध साबित हो रही है। उनके समक्ष घटना की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायधिश से जांच कराने की बात पर आदिवासीयों का कहना है कि जांच केवल तभी अर्थपूर्ण होगी यदि यह गांव में की जाए।

इस अमानवीयता के बीच में, इस बात के साक्ष्य है की आदिवासियों के दिल में विरोध की स्थिति है। जो कि शुरूआती दौर में सलवा जुडूम के दौरान किए गए जघन्य कृत्यों से भिन्न है क्योंकि आदिवासी अब अपने आप को और ज्यादा गांवों में रहने लायक नही मान रहे है। उनके बीच में यह दृढ़ रूप से यह स्थापित हो चुका की उनके साथ अन्याय हुआ, जिसका वह निराकरण (क्षतिपूर्ति)

चाहते है। जांच दल के सदस्य इस बात के गवाह है कि सरकार द्वारा भेजी गई सहायता को किस प्रकार से गांव वालों ने सिरे से नाकार दिया। भोपालपट्टनम के एस.डी.एम., आर. के. कुरूवंशी कई गाड़ीयों के साथ वहां पहुंचे थे जिनमें चावल, दाल, कपड़े तथा कुछ बर्तन थे जो देने के लिए लाए गए थे। गांव वालों ने गुस्से में अधिकारियों पर चिल्लाया और कहा " तुम ने पहले हमारे बच्चों की हत्या की और अब मद्द करना चाहते है?" "क्यों हम लोग तो माओवादी है ना? क्या तुम माओवादीयों को यह राशन देने के लिए आए हो?"।

जांच दल का यह मानना है कि 28 जून को मारे गए 17 आदिवासी सरकार की माओवादीयों के विरूद्ध लड़ाई में चालू कांउन्टर-इनर्सजेन्सी का भाग है। छत्तीसगढ़ में समय-असमय यह मान लिया जाता है कि आदिवासी लोगों का माओवादी को समर्थन है और जानबूझ कर उन्हें क्रूर हिंसा का लक्ष्य बनाया जाता है। यह अस्विकार्य हिंसा जो लोगों को के जीवन जीने की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लघंन है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न संस्थाऐं कई बार यह बताया है कि माओवाद केवल कानून व्यवस्था की समस्या नही है बल्कि इसका एक मजबूत सामाजिक-आर्थिक आधार भी है। हालांकि, व्यवहार में माओवाद को केवल एक आपराधिक प्रादुर्भाव(उपज) के रूप में माना जाता है जिसका समाधान केवल हत्यारी सुरक्षा सेना का फैलाव के रूप में देखा गया है। क्रूर दमन की यह नीति खत्म होनी चाहिए। हमारा यह कहना नही है की माओवादीयों के द्वारा हिंसा पर पुलिस आंख बंद कर लें। पुलिस को निवारण और अपराध की छानबीन को करना चाहिए, साथ ही लोगों के अधिकारों का भी पूरा सम्मान देना चाहिए, और पुलिस को अपना यह कार्य पूर्ण रूप से कानून के अंतगर्त रह कर करना चाहिए। सरकार को चाहिए की वह ध्यानपूर्वक रूप से उस नीति का क्रियान्वयन करे जो सामाजिक और आर्थिक विकृति को दूर करती हो। इन इलाकों में कानून एवं संविधान की अवमानना को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। सरकार को माओवादीयों के विरूद्ध सालों से चल रही हिंसात्मक दमन की नीति के स्थान पर राजनीतिक तरीकों अपनाना चाहिए ।

जांच दल सदस्यों की मांग:

1. 28 जून की रात को सरकेगुडा गांव के पास हुए ऑपरेशन में शामिल सभी सी.आर.पी. एफ. और कोबरा बटालियन के कर्मियों पर आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज हो, साथ ही अन्य प्रभावी दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही हो। इसके अलावा इन पर एससी. एण्ड एसटी (प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत भी केस चलाया जाए।
2. 28 जून की रात को सरकेगुडा गांव के पास हुए ऑपरेशन में शामिल सभी सी.आर.पी. एफ. और कोबरा बटालियन के कर्मियों पर महिलाओं के साथ किए गए उत्पीड़न, लूट, सम्पति को नष्ट करने के लिए केस दोषी बनाया जाए। इन सब पर आई.पी.सी. की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही की जाए।

3. केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा माओवादीओं को क्रूर एवं दमनात्मकपूर्ण तरीके से दबाने की चल रही नीति को बंद कर आंदोलन को राजनीतिक तरीके से कार्य करे।
4. सरकार संविधान के पांचवी सूची तथा इस क्षेत्र के जंगल, जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर यहां के आदिवासी लोगों के अधिकारों का सम्मान करे। आदिवासीयों के लिए बनाए गए संरक्षात्मक विधानों का दृढ़तापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए।

जांच-दल के सदस्यः

1. प्रितिपाल सिंह, एशोसियशन फॉर डेमोक्रेटीक राइटस (एएफडीआर), पंजाब।
2. प्रशांत हल्दर, सचिव, एशोसियशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटीक राइटस, (एपीडीआर), पश्चिम बंगाल।
3. आशिष गुप्ता, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटीक राइटस (पीयूडीआर), दिल्ली। और कॉन्वेनर, कोर्डिनेशन फॉर डेमोक्रेटीक राइटस आर्गेनाजेशनस (सीडीआरओ), दिल्ली।
4. आर. शिवा शंकर, नल्लौर जिला सचिव, आर्गेनाजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटीक राइटस, (ओपीडीआर) और बी.राम रेड्डी, ओपीडीआर वारंगल जिला कॉन्वेनर।
5. सी. चन्द्रशेखर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, आंध्र प्रदेश सिविल लिबरटीज कमेटी (एपीसीएलसी), वी. चिट्टिबाबू और डी.सुरेश कुमार, स्टेट वाईस प्रसिडेन्ट, एन. श्रीमानारायणा, वी.रघुनाथ और आर.राजूनंदन, स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी, गुन्टी रवि, स्टेट कमेटी सदस्य और बालाकृष्णा और मुरलीकृष्णा, सदस्य कुरनूल जिल, (एपीसीएलसी)।
6. वी.एस.कृष्णा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन राइटस फोरम (एचआरएफ), एस. के. खादर बाबू और डी अदिनारायणा, एचआरएफ प्रसिडेन्ट और जनरल सेक्रेटरी, खम्मम जिला।

एएफडीआर, एपीडीआर, पीयूडीआर, ओपीडीआर, एपीसीएलसी, और एचआरएफ सदस्य है सीडीआरओ के।